

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3447
उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

तेलंगाना में एफआरए का कार्यान्वयन

+3447. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत भूमि स्वामित्व के लिए राज्य-वार, विशेष रूप से तेलंगाना में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनके निपटान की स्थिति क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को चेन्नूर में पोडू भूमि विवादों के समाधान तथा भूमि स्वामित्व वितरण में तेजी लाने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों की तारीखों तथा उन पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना को आवंटित तथा संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेलंगाना में सभी लंबित पोडू भूमि विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा देरी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उड्डे)

(क): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्ट मांगता है। एफआरए 20 राज्यों (तेलंगाना सहित) और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में कुल मिलाकर ग्राम सभा स्तर पर कुल 51,04,904 दावे दायर किए गए, जिनमें 48,99,903 व्यक्तिगत और 2,05,001 सामुदायिक दावे शामिल हैं और कुल 25,03,453 अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें 23,85,334 व्यक्तिगत और 1,18,119 सामुदायिक अधिकार पत्र शामिल हैं। राज्य-वार विवरण (तेलंगाना सहित)

अनुलग्नक I में संलग्न हैं। ग्राम सभा में दायर दावों की संख्या (व्यक्तिगत और सामुदायिक), स्वीकृत दावों की संख्या (वितरित अधिकार पत्र), पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए राज्य-वार ब्यौरे इस मंत्रालय की वेबसाइट- एफआरए- मासिक प्रगति रिपोर्ट- <https://tribal.nic.in/FRA.aspx> पर उपलब्ध हैं।

(ख), (ग) और (ड): चूंकि अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, इसलिए इस मंत्रालय को तेलंगाना सहित किसी भी राज्य से भूमि वितरण के लिए कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। पोडू भूमि विवादों के संबंध में, तेलंगाना राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोई पोडू भूमि विवाद नहीं है।

(घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत तेलंगाना राज्य के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत निधियों के साथ-साथ स्वीकृत गतिविधियों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने चालू वर्ष में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत सरकार के 17-लाइन मंत्रालयों द्वारा अभिसरण और पहुंच (आउटरीच) द्वारा कार्यान्वित 25 उपायों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में गंभीर अंतरों को भरना है; और जनजातीय क्षेत्रों तथा समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। उपायों में से एक एफआरए के व्यापक कार्यान्वयन से संबंधित है और इस उपाय के तहत, तेलंगाना सहित सभी राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए प्रकोष्ठ की स्थापना और डेटा तथा दावा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

“तेलंगाना में एफआरए के कार्यान्वयन” के संबंध में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3447 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।

दिनांक 28.02.2025 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार दायर दावों और वितरित अधिकार पत्रों (स्वामित्व) का राज्य-वार ब्यौरा:

| क्र. सं. | राज्य | दायर दावों की संख्या | | | वितरित अधिकार पत्रों की संख्या | | |
|----------|------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| | | व्यक्तिगत | समुदायिक | कुल | व्यक्तिगत | समुदायिक | कुल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 285,087 | 3,294 | 288,381 | 226,651 | 1,822 | 228,473 |
| 2 | असम | 148,965 | 6,046 | 155,011 | 57,325 | 1,477 | 58,802 |
| 3 | बिहार | 4,696 | 0 | 4,696 | 191 | 0 | 191 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 888,028 | 53,949 | 941,977 | 478,563 | 49,270 | 527,833 |
| 5 | गोवा | 9,757 | 379 | 10,136 | 856 | 15 | 871 |
| 6 | गुजरात | 182,869 | 7,187 | 190,056 | 98,289 | 4,791 | 103,080 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 4,880 | 539 | 5,419 | 513 | 146 | 659 |
| 8 | झारखंड | 107,032 | 3,724 | 110,756 | 59,866 | 2,104 | 61,970 |
| 9 | कर्नाटक | 288,549 | 5,940 | 294,489 | 14,981 | 1,345 | 16,326 |
| 10 | केरल | 44,455 | 991 | 45,446 | 29,139 | 261 | 29,400 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 585,326 | 42,187 | 627,513 | 266,901 | 27,976 | 294,877 |
| 12 | महाराष्ट्र | 397,897 | 11,259 | 409,156 | 199,667 | 8,668 | 208,335 |
| 13 | ओडिशा | 691,948 | 31,893 | 723,841 | 461,475 | 8,634 | 470,109 |
| 14 | राजस्थान | 113,162 | 5,213 | 118,375 | 49,215 | 2,551 | 51,766 |
| 15 | तमिलनाडु | 33,119 | 1,548 | 34,667 | 15,442 | 1,066 | 16,508 |
| 16 | तेलंगाना | 651,822 | 3,427 | 655,249 | 230,735 | 721 | 231,456 |
| 17 | त्रिपुरा | 200,557 | 164 | 200,721 | 127,931 | 101 | 128,032 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 92,972 | 1,194 | 94,166 | 22,537 | 893 | 23,430 |
| 19 | उत्तराखंड | 3,587 | 3,091 | 6,678 | 184 | 1 | 185 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 131,962 | 10,119 | 142,081 | 44,444 | 686 | 45,130 |
| 21 | जम्मू एवं कश्मीर | 33,233 | 12,857 | 46,090 | 429 | 5,591 | 6,020 |
| कुल | | 4,899,903 | 205,001 | 5,104,904 | 2,385,334 | 118,119 | 2,503,453 |

"तेलंगाना में एफआरए के कार्यान्वयन" के संबंध में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3447 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

'टीआरआई को सहायता' योजना के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित निधियों के साथ-साथ अनुमोदित गतिविधियों की सूची

| क्रम सं. | वर्ष | गतिविधि | स्वीकृत राशि (लाख रुपए में) | शीर्ष समिति की टिप्पणियां |
|----------|---------|--|-----------------------------|---|
| 1. | 2024-25 | जनजातीय स्थिति सत्यापन, आरओएफआर, एलटीआर, पीईएसए और एसटीएसडीएफ पर प्रशिक्षण माँड्यूल का संशोधित संस्करण बनाना | 5.00 | 5 डोमेन के लिए 1 लाख रुपये प्रति की दर से स्वीकृत। |
| 2. | 2023-24 | रायथुबंधु योजना का मूल्यांकन आरओएफआर भूमि तक बढ़ाया गया | 5.00 | अनुमोदित। एफआरए भूमि की कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। |
| 3. | 2023-24 | क्लस्टर स्तर पर सीएफआर प्रशिक्षण | 20.00 | अनुमोदित। मूल्य संवर्धन का लक्ष्य कार्यक्रम के माध्यम से विपणन लिंकेज का पता लगाना होना चाहिए। |
| 4. | 2023-24 | डीटीडीओ और एफआरओ को सरकार के रायथुबंधु-आरओएफआर पोर्टल और भारत सरकार के एफआरए पोर्टल पर प्रशिक्षण | 3.00 | अनुमोदित |
| 5. | 2021-22 | एलटीआर, आरओएफआर पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण और अजजा को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करना - आभासी मोड। | 2.00 | अनुमोदित |
| 6. | 2020-21 | एफआरए के अंतर्गत सामुदायिक संसाधनों का मानचित्रण | 12.00 | दस्तावेजीकरण को दस्तावेज भंडार (रिपॉजिटरी) पर अपलोड किया जाएगा। |
| 7. | 2020-21 | आरओएफआर के बहुभुज मानचित्रण व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों पर प्रशिक्षण तथा लाइन विभागों के साथ समन्वय में गतिविधियां शुरू करना। | 48.00 | अनुमोदित टीआरआई तेलंगाना, एमओटीए के एफआरए प्रभाग के साथ परियोजना पर चर्चा करेगा और अन्य टीआरआई के साथ सर्वोत्तम कार्यों को साझा करेगा। |